

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

रांची, दिनांक :-

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अंतर्गत पतना- हिरणपुर पथ 0.00 से 17.50 कि०मी० (कुल लंबाई - 17.50 कि०मी०) के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के संबंध में अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित निम्नलिखित अभियन्ताओं को निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रयुक्त सामग्री, निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन तथा निर्माण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में घोर लापरवाही बरतने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है:-

- I. श्री अजय कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल साहेबगंज
- II. श्री रामजीवन पासवान, सहायक अभियन्ता, पथ अवर प्रमण्डल, राजमहल
- III. श्री शत्रुघ्न प्रसाद राय, कनीय अभियन्ता, पथ प्रशाखा, राजमहल, पथ अवर प्रमण्डल, राजमहल
- IV. श्री राम दयाल मंडल, कनीय अभियन्ता, पथ प्रशाखा, बरहरवा-1, पथ अवर प्रमण्डल, राजमहल।

2. चूँकि उपरोक्त क्रमांक IV पर अंकित कनीय अभियन्ता सम्प्रति सेवा निवृत्त हो चुके हैं, अतः इनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक I, II, एवं III पर अंकित अभियन्ताओं को झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2016 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

3. संबंधित अभियन्ताओं को झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-10(1) (क) के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियन्ता (यातायात) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची होगा।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रिसिल्ला मुर्मू)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : निग/सारा(पथ)-15-जांच-03-01/2026.....42856 रांची, दिनांक : 09/10/2026
प्रतिलिपि: अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय ई-गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rj usm
09/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

Ref
12/10/26